

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 654]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 25, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/1305/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत जिला प्रशासन द्वारा संचालन की स्थिति में प्रावधिक पंजीयन प्रदान करता है :-

क्र.	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था का नाम एवं पता	बालगृह की प्रकृति एवं पता	समिति द्वारा की गई अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिलासपुर	शासकीय विशेष गृह (बालक)	नूतन चौक, इंदिरा बिहार गेट के पास, नया सरकण्डा, बिलासपुर	प्रावधिक पंजीयन 06 माह हेतु
2.	बिलासपुर	शासकीय प्लेस ऑफ सेफटी गृह (बालक)	नूतन चौक, इंदिरा बिहार गेट के पास, नया सरकण्डा, बिलासपुर	प्रावधिक पंजीयन 06 माह हेतु

- यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 06 माह हेतु वैध होगा.
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा अनिवार्यतः किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
- संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.